रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2014/भाद्र 26, 1936
No. 227] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2014/BHADRA 26, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, **12** सितम्बर,**2014**

सरकारी स्टॉक की पुन: खरीद

एफ. संख्या 4(14)-डब्ल्यू एंड एम/2014: भारत सरकार एतद्द्वारा (i) 7.32 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2014,(ii) 7.56 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2014, (iii) 6.49 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2015, (iv) 7.17 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2015, (v) 7.38 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2015 (परिवर्तित), (जिसे इसमें इसके बाद सरकारी स्टॉक कहा गया है) की पुन: खरीद को अधिसूचित करती है।

पुन: खरीद की विधि

2. सरकारी स्टॉक की पुन: खरीद भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ती नीलामी और एक अथवा अधिक किस्तों के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में अपनाई जाने वाली वास्तविक प्रक्रिया और पुन: खरीद/ व्यवस्थापन की तारीख भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

पुन:खरीद की नाममात्र राशि

3. "7.32 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2014", "7.56 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2014", "6.49 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2015", "7.17 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2015", "7.38 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2015"(परिवर्तित), की पुन: खरीद 20,000 करोड़ रुपए की समग्र राशि के लिए होगी।

भुगतान

4. सरकारी स्टॉक की पुन: खरीद हेतु भुगतान भारत सरकार द्वारा सीएएस, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के पास अनुरक्षित अपने नकद शेष से किया जाएगा। ऐसे भुगतान में सफल बोलियों/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अंकित मूल्य पर प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। इस

प्रकार से पुन: खरीदे गए सरकारी स्टॉक का मोचन परिपक्वता की अवधि से पहले होगा और ऐसे मोचित सरकारी स्टॉक पर ब्याज समाप्त हो जाएगा।

सांविधिक प्रावधान

5. ऐसा कोई भी मामला जो इस अधिसूचना के अंतर्गत नहीं दिया गया है, सरकारी स्टॉक भारतीय प्रतिभूति अधिनियम,2006 और इसके तहत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 और भारत सरकार द्वारा पहले जारी की गई सदृश अधिसूचना (अधिसूचनाओं) द्वारा नियंत्रित होगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

डॉ. रजत भार्गव,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2014

Repurchase of Government Stocks

F. No 4(14)-W&M/2014: The Government of India hereby notifies repurchase of (i) 7.32 per cent Government Stock 2014, (ii) 7.56 per cent Government Stock 2014, (iii) 6.49 per cent Government Stock 2015, (iv) 7.17 per cent Government Stock 2015, (v) 7.38 per cent Government Stock 2015 (conv) (hereinafter called the Government Stocks).

Mode of Repurchase

2. The repurchase of the Government Stocks will be undertaken through reverse auction by the Government of India and in one or more tranches. The actual procedure to be followed in this regard and the date of repurchase / settlement will be notified by the Reserve Bank of India.

Nominal Amount of Repurchase

3. The repurchase of 7.32 per cent Government Stock 2014, 7.56 per cent Government Stock 2014, 6.49 per cent Government Stock 2015, 7.17 per cent Government Stock 2015, 7.38 per cent Government Stock 2015 (Conv) will be for an aggregate amount of ₹ 20,000 crore.

Payment

4. The payment for the repurchase of the Government Stocks will be made by the Government of India from its cash balances maintained with the CAS, RBI, Nagpur. Such payment will include the accrued interest on the nominal value of the successful bids/offer accepted by the Reserve Bank of India. The Government Stocks repurchased in the manner will get prematurely redeemed and interest will cease to accrue on such redeemed Government Stocks.

Statutory Provision

5. With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the Government Stock shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder and the earlier corresponding Notification(s) Issued by the Government of India.

By Order of the President of India

Dr. RAJAT BHARGAVA,Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.